# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक 02.05.2025

दायर दिनांक 04.08.2023

मुकदमा नम्बर 60/2024 प्रा0 पत्र

उनवान

1. श्री जगदीशलाल पिता लाडूलाल उर्फ लादूलाल कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. किशना पिता हजारी कुमावत निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भैरूलाल पिता देबी गाडरी, निवासी किशनावतों की खेडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री भैरूलाल बापना, उपस्थित।

2— विपक्षी सं. 01 की और से श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित।

3— विपक्षी सं. 02 की और से कैलाशचन्द्र आचार्य उपस्थित।

3— विपक्षी संख्या 03 पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 249 रकबा 0.3541 हैक्टेयर भूमि ग्राम बोरडा प०ह० गठिलाखेडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, प्रार्थी की उक्त आराजी नं. 249 रकबा 0.3541 हैक्टेयर में जाने आने का कोई स्थायी रास्ता नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजी नं. 249 रकबा 0.3541 हैक्टेयर में जाने आने का एकमात्र सुविधाजनक रास्ता इस आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आम रास्ता सड़क से होकर आगे पश्चिम दिशा में स्थित विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 250 तथा विपक्षी सं. 2 की आराजी नं. 246/1 के मध्य की मेड़ से होते हुए आगे पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी नं. 249 में प्रवेश करता है । प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में सदैव से उक्त रास्ते से होकर ही अपने कृषि उपकरणों संज—बैल ट्रक ट्रेक्टर सहित आ—जा रहा है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण कभी भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उक्त रास्ते का नजरी नक्शे में लाल स्याही से ए से बी अंकित किया गया है।

उक्त रास्ते के अलावा मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण से कई बार निवेदन किया और उक्त अनुसार रास्ता कायम कराने हेतु समझाइश की किन्तु विपक्षीगण समझाइश हेतु तैयार नहीं है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की नौबत आयी है। उक्त वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को उनकी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बोरड़ा में स्थित मुझ प्रार्थी की आराजी नं. 249 में जाने आने हेतु इस आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आम रास्ता सड़क से होकर आगे पश्चिम दिशा में विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 250 तथा विपक्षी सं. 2 की आराजी नं. 246/1 के मध्य की मेड़ से होते हुए आगे पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी नं. 249 में पहुंचने हेतु 30 फीट चौड़ाई का नया रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह आवेदन धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा (2) के तहत न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत है। उपरोक्त खातेदारान से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया परन्तु प्रार्थी अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया है। आपसी सहमति वार्ता दिनांक 15–02–2024 को समाप्त हो गयी है।

अतः निवेदन है कि उक्त अनुसार आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन ग्राम बोरड़ा पटवार क्षेत्र गठिलाखेड़ा में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी नं. 249 रकबा 0.3541 हैक्टेयर पर जाने–आने हेतु इस आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आम रास्ता सड़क से होकर आगे पश्चिम दिशा में विपक्षी सं. 1 की आराजी नं. 250 तथा विपक्षी सं. 2 की आराजी नं. 246/1 के मध्य की मेड़ से होते हुए 30 फीट चौड़ाई का नया रास्ता जो कि नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से A से B दर्शित किया गया है, वह 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाने हेतु आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में बिलानाम सरकारी रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थी सदैव तैयार हैं ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 02 भैरूलाल पिता देवी जी गाडरी निवासी किशनावतों की खेडी की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 246/1 से कभी भी अपनी आराजी में आवागमन नहीं किया हैं। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी नं. 249 गिरधारी पिता उदा कुमावत से दिनांक 10.02.2024 को ही खरीद की हैं। व मात्र 10 दिन बाद ही उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर अपने प्रार्थनापत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं कि वह सदैव से ही उक्त रास्ते से होकर ही अपनी कृषि उपकरणों संज बेल, ट्रेक्टर सहित आ जा रहा हैं, जबकि प्रार्थी ने मात्र 10 दिन पूर्व ही उक्त आराजियात कय की हैं। प्रार्थी कभी भी विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजी संख्या 246/1 से आवागमन नहीं किया हैं। बल्कि पूर्व का खातेदार विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 250 से ही आ जा रहा हैं। केवल मात्र विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी मात्र विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया हैं। प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की भूमि से कोई रास्ता पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी में जाने का विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजी से कभी कोई रास्ता नहीं रहा हैं। जब प्रार्थी का कभी विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजी से रास्ता ही नहीं रहा तो प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 से निवेदन कर रास्ता कायम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। मात्र विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता को परेशान करने की गरज से प्रार्थनापत्र पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व ही उक्त आराजी कय की हैं। प्रार्थी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार गिरधारी पिता उदा कुमावत से कय की हैं। गिरधारी पिता उदा कुमावत ने मूल खातेदार नन्दा, जमना पुत्र कालू जाट से कय की थी व विपक्षी संख्या 01 ने भी अपनी आराजियात इन्ही खातेदार नन्दा, जमना पिता कालू जाट से ही खरीदसुदा हैं, अर्थात् प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 का मूल खातेदार एक ही हैं। यदि कोई रास्ता बनता भी हैं तो विपक्षी संख्या 01 की भूमि से ही प्राप्त कर सकता हैं, तथा पूर्व खातेदार गिरधारी द्वारा भी अपनी आराजी आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 01 किशना की आराजी 250 से ही रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। प्रार्थी तथा पूर्व खातेदार द्वारा कभी भी विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजी में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है इस प्रकार विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजियात से कोई रास्ता पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की जिस जगह पर रास्ता बताया जा रहा हैं उस जगह पर विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की काफी पुराने समय से ट्यूबवेल खुदी हुई हैं व उस पर उसी समय से बिजली कनेक्शन हो रखा हैं। जिससे विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की भूमि की सिंचाई होती हैं। विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजियात से ना तो प्रार्थी द्वारा और ना ही प्रार्थी के पूर्व खातेदार गिरधारी कुमावत द्वारा कभी भी विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजियात से आवागमन नहीं किया हैं। विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता ने काफी पैसा खर्च कर ट्यूबवेल लगाकर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं, जिससे विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता की आराजी से कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज कराया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 533 दिनांक 15.10.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम बोरडा के आराजी नम्बर 1213 जो कि गे0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है जो मुख्य रास्तें के पश्चिमी दिशा में अपने आराजी नम्बर 249 पर आने–जाने हेतु 30 फीट रास्ते की मांग की है जो मुख्य रास्ते से एक खेत पिछे है। मौके पर आराजी नम्बर 246/1 के खातेदार ने वाद दायर करने के पश्चात् आराजी की दक्षिणी दिशा में बोरिंग करा लिया है। आराजी नम्बर 249 पर खातेदार (वादी) को जाने के लिये आराजी नम्बर 246/1 व 250 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम मार्ग नहीं है वादी रास्ते की भूमि के बदले भूमि या प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान दोनो हेतु सहमत है। मौके पर आराजी नम्बर 250 व 251 रास्ते के सहारे दिवाल बना रखी है। मौके पर विपक्षी किशन पिता हजारी रास्ते के एवज में भूमि के लिये सहमत है। आराजी नम्बर 250 में से 2 गट्टा चौडा रास्ता देने से प्रतिवादी के खाते से 01 बिस्वा यानि 0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्तें के रूप में दर्ज होगी। आराजी नम्बर 249 में से 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के बजाय वादी के दर्ज होगी। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये वादी रास्ते की भूमि के बदले भूमि या प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान दोनों हेतु सहमत है। वादी अधिवक्ता ने रास्तें की भूमि के बदले वादी की भूमि देने के सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :– 2019(2) RRT 1210 पेज नं0 14 है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी रास्ते की भूमि के बदले भूमि या प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान दोनों हेतु सहमत है। एवं विपक्षी किशन पिता हजारी रास्ते के एवज में भूमि के लिये सहमत है। विपक्षी संख्या 02 का आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) अधिसूचना जयपुर 05 सितम्बर 2023 अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

**–:: आदेश ::–**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार ग्राम बारेडा प०ह० गठिलाखेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 249 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 किशना पिता हजारी कुमावत की आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1644 हैक्टैयर किस्म बंजड में से 02 गट्टा चौडा रास्ता यानि 0.0126 हैक्टेयर भूमि (प्रस्तावित नक्शें अनुसार) सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर 250 में से रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्तें के रूप में दर्ज करने एवं वादी की आराजी नम्बर 249 में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी की आराजी नम्बर 250 में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उक्तानुसार आराजी नम्बर 250 में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(दि[illegible] सिंह [illegible]ावत)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा